शिक्षा को मूल अधिकार बनाने की चुनौती

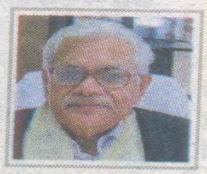

गिरीश्वर मिश्र
कुलपति, महात्मा गांधी
अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

भारत के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा पहुंचाने की कोशिश बड़ी लंबी और कठिन होती दिख रही है. जब भारत में अंग्रेजी राज था, तब बड़ौदा के महाराजा ने 1891 में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था शुरू की थी. पश्चिम में एक रियासत में भी इसी तरह का प्रयास हुआ था और अन्य कई क्षेत्रों में भी ऐसी कोशिश हुई थी. गुलामी के दिनों में देश के राष्ट्रीय नेतृत्व ने औपनिवेशिक शासकों से पूरे देश में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने पर जोर दिया था, पर अंग्रेजों को सत्ता सुख बनाए रखने के चलते यह रास नहीं आया था और यह मांग अस्वीकृत हो गई. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने निरक्षरता को देश के लिए बेहद 'शर्मनाक' माना और कहा कि अंग्रेज जब भारत पहुंचे थे तब देश अधिक साक्षर था. गांधीजी और उनके कई सहयोगियों के प्रयास से देश में शिक्षा की चेतना जगी और निरक्षरता की चुनौती से लड़ने की देसी तकनीक पर काम शुरू हुआ ताकि हर देशवासी एक सार्थक बुनियादी शिक्षा जरूर पा सके. इसके बाद देश को बीसवीं सदी के मध्य आते-आते जब स्वतंत्रता मिली तो देश के कर्णधारों ने इस ओर ध्यान दिया. दस साल के अंदर सभी बच्चों को बुनियादी शिक्षा देने और निरक्षरता उन्मूलन का लक्ष्य बनाकर प्रयत्न शुरू हुआ. पर संविधान का यह वादा पूरा न हो सका. साक्षरता के लिए नई नीतियां और तरीके अपनाए गए. बीसवीं सदी के अंत तक यह साफ हो गया कि इसके लिए देश के अपने संसाधन नाकाफी हैं और विदेश की सहायता चाहिए. बाहर से आर्थिक सहायता ही नहीं विशेषज्ञ भी आए और उनके साथ निरंतर संवाद भी चलता रहा. इसके चलते साक्षरता के आंकड़ों में जरूर वृद्धि हुई, पिछड़े क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा भी बढ़ी और कई नई संस्थाएं पनपीं.

यह लड़ाई इक्कीसवीं सदी में एक नए संकल्प के साथ शुरू हुई. 'सर्व शिक्षा अभियान' की एक बड़ी ही महत्वाकांक्षी मुहिम छेड़ी गई. अपने संसाधनों की सहायता से साक्षरता के लिए नई पहल हुई. लेवी(सेस) लगाई गई और इस योजना के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाए गए. स्कूलों की आधार-संरचना को उन्नत करने की कोशिश भी शुरू हुई. बच्चों की स्कूलों में दाखिला तो जरूर बढ़ा पर गुणात्मक रूप से समृद्ध शिक्षा का सपना दूर ही बना रहा. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान भी शुरू हुआ ताकि माध्यमिक स्तर की शिक्षा सब तक पहुंचा दी जाए. सूचना प्रौद्योगिकी को भी स्कूल में लाने की कोशिश शुरू हुई.

इस बीच संसद ने संविधान में संशोधन करते हुए शिक्षा को मूल अधिकार बनाया जो अभी तक सिर्फ एक निदेशात्मक नियम भर था. अगस्त 2009 में संसद ने '6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम' स्वीकार किया. भारतीय शिक्षा के लिए यह एक

आज जब देश के लिए नई शिक्षा नीति बनाई जा रही है तो प्राथमिक शिक्षा के पूरे परिदृश्य पर गौर करते हुए व्यवस्था करनी होगी और कदम उठाने होंगे.

युगांतरकारी घटना थी. इस अधिनियम में प्रावधान हुआ कि अगले पांच वर्षों में यह कार्य रूप ले लेगा. छह वर्ष बीत गए, क्या सभी बच्चों के लिए शिक्षा के मूल अधिकार देने का सपना पूरा हुआ? इस प्रश्न का शायद हां या नहीं में कोई स्पष्ट उत्तर अभी नहीं दिया जा सकता. पर हमारे सामने कई सवाल खड़े हैं. क्या कानून बना देना काफी है? क्या एक केंद्रीय कानून काम कर सकेगा? यह प्रश्न भी उठता है कि क्या यह कानून गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा मुहैया कराने के लिए पर्याप्त है. सवाल और भी हैं बच्चे स्कूलों में क्यों नहीं हैं. क्यों माता-पिता बच्चों को निजी स्कूलों में रखना चाहते हैं? क्या मात्र शिक्षा की गुणवत्ता ही इसका कारण है? सरकारी स्कूलों का प्रबंधन कैसे ठीक किया जाए? साथ ही शिक्षा के मामले में केंद्र-राज्य के रिश्ते और शिक्षा के अधिकार पर भी विचार आवश्यक है. आज जब देश के लिए नई शिक्षा नीति बनाई जा रही है तो प्राथमिक शिक्षा के पूरे परिदृश्य पर गौर करते हुए व्यवस्था करनी होगी और कदम उठाने होंगे. आज के तथाकथित ज्ञान युग में देश की भागीदारी की यह न्यूनतम आवश्यकता है कि प्राथमिक शिक्षा को पटरी पर लाया जाए. ■■

राष्ट्रीय सहारा
मंगलवार, 15 दिसंबर 2015